



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP57563349626299Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

8642/2026

Certificate No. : IN-UP57563349626299Y

Certificate Issued Date : 12-May-2026 02:18 PM

Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN

Unique Doc. Reference : SUBIN-JPUPSHCIL0109102071469030Y

Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : VILL-DONA,GATA NO-2985 ETC,TOTAL AREA-1.5909 HEC LUCKNOW.

Consideration Price (Rs.) :

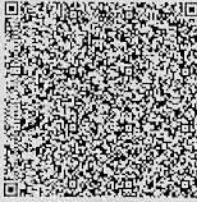
First Party : CHHOTE LAL

Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.) : 31,18,220
(Thirty One Lakh Eighteen Thousand Two Hundred And Twenty only)

(10)



Please write or type below this line



मि. अ. छोटे लाल

प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचोअ
लखनऊ

FH 0001003222

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHIL



0001003555



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 4,45,45,200/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 1,11,36,300/-
 5. जनरल स्टाम्प - 31,18,220/-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP5756334962626299Y व दिनांक 12-05-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 2985 का कुल रकबा 0.2400हे० में से विक्रीत रकबा 0.0400हे०,
खसरा सं० 3352 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
खसरा सं० 3354 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०,
खसरा सं० 3355 का कुल रकबा 0.0540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0090हे०,
खसरा सं० 3358 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0096हे०,
खसरा सं० 3367 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०,
खसरा सं० 3189/3630 का कुल रकबा 0.0070हे० में से विक्रीत रकबा 0.0011हे०,
खसरा सं० 3357 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०,



ज्ञानेन्द्र प्रताप शर्मा
नायब तहसीलदार/संच०
ल०वि०प्रा०

Digitized by Google

[illegible]

ज्ञानेन्द्र प्रभाप शुक्ला
नायब तहसीलदार, सी०च०
ल०वि०प्र०

गणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

खसरा सं० 3124 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०,
खसरा सं० 3151 का कुल रकबा 0.0310हे० में से विक्रीत रकबा 0.0052हे०,
खसरा सं० 3149 का कुल रकबा 0.0220हे० में से विक्रीत रकबा 0.0036हे०,
खसरा सं० 3087 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०,
खसरा सं० 2807 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०,
खसरा सं० 2808 का कुल रकबा 0.0060हे० में से विक्रीत रकबा 0.0010हे०,
खसरा सं० 3295 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०,
खसरा सं० 3353 का कुल रकबा 0.0350हे० में से विक्रीत रकबा 0.0058हे०,
खसरा सं० 3356 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०,
खसरा सं० 3342 का कुल रकबा 0.0230हे० में से विक्रीत रकबा 0.0038हे०,
खसरा सं० 2941 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0231हे०,
खसरा सं० 2900 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०,
खसरा सं० 2902 का कुल रकबा 1.3950हे० में से विक्रीत रकबा 0.6975हे०,
खसरा सं० 2899 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0192हे०,
खसरा सं० 3458 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
खसरा सं० 3361 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
खसरा सं० 3125 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०,
कुल रकबा 6.7580हे० में से विक्रीत रकबा 1.5909हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 1.5909हे०

11. सड़क की स्थिति— किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।

12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।

13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या— 202515701041066427 आवेदक श्री छोटेला ल पुत्र सोहबत के नाम अपर जिलाधिकारी—महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 13.03.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।




आनन्द प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

THE NEW YORK
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) — नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या— 2985

15. पूरब — गाटा संख्या — 2988
16. पश्चिम — गाटा संख्या — 3041
17. उत्तर — गाटा संख्या — 2986
18. दक्षिण — गाटा संख्या — 2983

19. विक्रेता का विवरण:—

श्री छोटेलाल पुत्र सोहबत निवासी — दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 7484 3695 9825 मो० नं० 6393896110 पैन नं० **BIBPL5828D**

20. क्रेता का विवरण:—

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत — वरुण विहार आवासीय योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा — श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम — सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग — लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद — लखनऊ मो० — 9540244993

पैन संख्या — **AAALL0016F**

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 1.5909 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो. हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिग रूपये 4,45,45,200/—(रूपये चार करोड पैतालिस लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) जिसके आधे मुवलिग रूपये 2,22,72,600/—(रूपये दो करोड बाईस लाख बहत्तर हजार छः सौ मात्र) होते है, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी /नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संचालक
ल०वि०प्रा०



प्रमुख, शिक्षा विभाग
राज्य सरकार, दिल्ली-110002
3/11/2015

विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रप्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 2985 का कुल रकबा 0.2400हे० में से विक्रीत रकबा 0.0400हे०, खसरा सं० 3352 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3354 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3355 का कुल रकबा 0.0540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0090हे०, खसरा सं० 3358 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0096हे०, खसरा सं० 3367 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 3189/3630 का कुल रकबा 0.0070हे० में से विक्रीत रकबा 0.0011हे०, खसरा सं० 3357 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, खसरा सं० 3450 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0027हे०, खसरा सं० 3370 का कुल रकबा 0.1010हे० में से विक्रीत रकबा 0.0168हे०, खसरा सं० 3378 का कुल रकबा 0.5060हे० में से विक्रीत रकबा 0.0843हे०, खसरा सं० 3380 का कुल रकबा 0.1830हे० में से विक्रीत रकबा 0.0305हे०, खसरा सं० 3394 का कुल रकबा 0.2400हे० में से विक्रीत रकबा 0.0400हे०, खसरा सं० 3395 का कुल रकबा 0.0090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0015हे०, खसरा सं० 3462 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3465 का कुल रकबा 0.8350हे० में से विक्रीत रकबा 0.1391हे०, खसरा सं० 3466 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0358हे०, खसरा सं० 34670 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 3469 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3470 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3473 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 3519 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 3480 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3477 का कुल रकबा 0.0950हे० में से विक्रीत रकबा 0.0158हे०,



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/सूच्य०अ०
लखनऊ



सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
सर्वकार भारत

खसरा सं० 3475 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 3474 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3173 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3175 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0148हे०, खसरा सं० 3267 का कुल रकबा 0.0890हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3275 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 3279 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0031हे०, खसरा सं० 3280 का कुल रकबा 0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0443हे०, खसरा सं० 3318 का कुल रकबा 0.2660हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 3319 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 3322 का कुल रकबा 0.0310हे० में से विक्रीत रकबा 0.0051हे०, खसरा सं० 3323 का कुल रकबा 0.0090हे० में से विक्रीत रकबा 0.0015हे०, खसरा सं० 3340 का कुल रकबा 0.0950हे० में से विक्रीत रकबा 0.0158हे०, खसरा सं० 3341 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0336हे०, खसरा सं० 3351 का कुल रकबा 0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0034हे०, खसरा सं० 3471 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3368 का कुल रकबा 0.0310हे० में से विक्रीत रकबा 0.0051हे०, खसरा सं० 3171 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 2939 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 2942 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0192हे०, खसरा सं० 2944 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, खसरा सं० 2945 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3107 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0233हे०, खसरा सं० 3083 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0095हे०, खसरा सं० 3094 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0022हे०, खसरा सं० 3111 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.0212हे०, खसरा सं० 3124 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०, खसरा सं० 3151 का कुल रकबा 0.0310हे० में से विक्रीत रकबा 0.0052हे०, खसरा सं० 3149 का कुल रकबा 0.0220हे० में से विक्रीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 3087 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2807 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2808 का कुल रकबा 0.0060हे० में से विक्रीत रकबा 0.0010हे०, खसरा सं० 3295 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3353 का कुल रकबा 0.0350हे० में से विक्रीत रकबा 0.0058हे०, खसरा सं० 3356 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3342 का कुल रकबा 0.0230हे० में से विक्रीत रकबा 0.0038हे०, खसरा सं० 2941 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0231हे०, खसरा सं० 2900 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, खसरा सं० 2902 का कुल रकबा 1.3950हे० में से विक्रीत रकबा 0.6975हे०, खसरा सं० 2899 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0192हे०, खसरा सं० 3458 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3361 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3125 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, कुल रकबा 6.7580हे० में से विक्रीत रकबा 1.5909हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।



ज्ञानेश्वर प्रताप शर्मा
नायब तहसीलदार/संचोअ
संवि०प्रा०



विश्वविद्यालय पुस्तकालय
पुस्तकालय, पुणे
पुणे

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु0 रूपये 4,45,45,200 /—(रूपये चार करोड पैतालिस लाख पैतालिस हजार दो सौ मात्र) विक्रेता छोटे लाल पुत्र सोहबत उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट **PNB Bank** शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 269274 व 269269 दिनांक 11.05.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

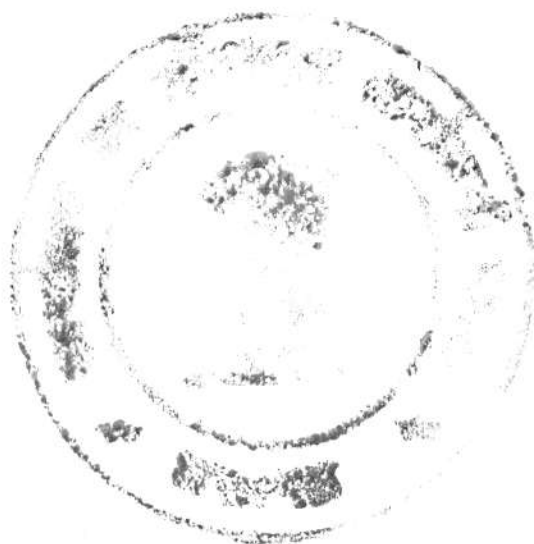
स्थान- लखनऊ।

दिनांक- 11/5/2026



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०

ਸਿਰਖ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ
੦੮੦੮੦੮/੧੯੯੯-੨੦੦੦ ਈ.
੦੮-੦੮-੨੦੦੦





हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018

मोबाइल संख्या - 6387717976



टाइपकर्ता

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
हस्ताक्षर केवल/संचालक
लखनऊ



गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318

मोबाइल संख्या - 7081100818



प्रालेखक

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

मो 6386063529

1-11-1917
RECEIVED
OFFICE OF THE
DIRECTOR



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ



आवेदन सं०: 202601041021019

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8642

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 44545200 स्टाम्प शुल्क- 3118220 बाजारी मूल्य - 11136300 पंजीकरण शुल्क - 445460 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 445520

श्री छोटे लाल ,
पुत्र श्री सोहबत
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/05/2026 एवं 06:37:20 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक :सरोजनीनगर

लखनऊ

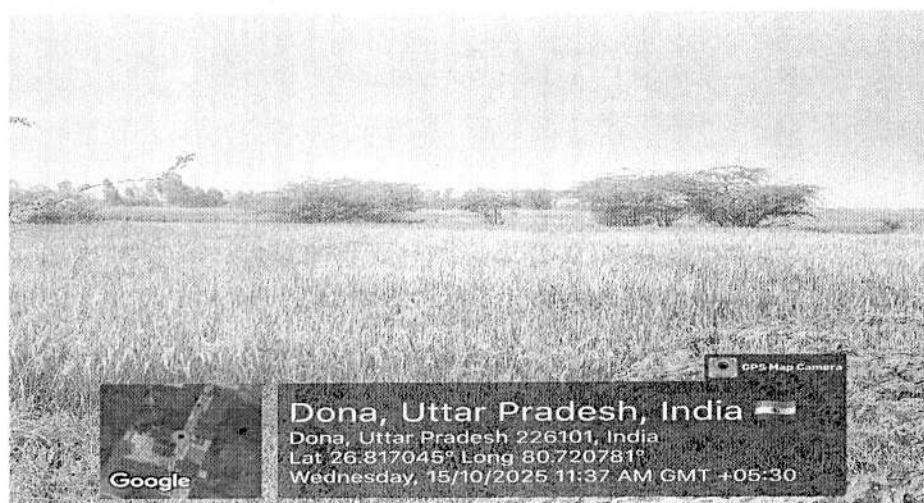
15/05/2026

निबंधक लिपिक

15/05/2026



रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0233हे०, खसरा सं० 3083 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0095हे०, खसरा सं० 3094 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0022हे०, खसरा सं० 3111 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.0212हे०, खसरा सं० 3124 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0042हे०, खसरा सं० 3151 का कुल रकबा 0.0310हे० में से विक्रीत रकबा 0.0052हे०, खसरा सं० 3149 का कुल रकबा 0.0220हे० में से विक्रीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 3087 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2807 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2808 का कुल रकबा 0.0060हे० में से विक्रीत रकबा 0.0010हे०, खसरा सं० 3295 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3353 का कुल रकबा 0.0350हे० में से विक्रीत रकबा 0.0058हे०, खसरा सं० 3356 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3342 का कुल रकबा 0.0230हे० में से विक्रीत रकबा 0.0038हे०, खसरा सं० 2941 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0231हे०, खसरा सं० 2900 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0126हे०, खसरा सं० 2902 का कुल रकबा 1.3950हे० में से विक्रीत रकबा 0.6975हे०, खसरा सं० 2899 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0192हे०, खसरा सं० 3458 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3361 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3125 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विक्रीत रकबा 0.0041हे०, कुल रकबा 6.7580हे० में से विक्रीत रकबा 1.5909हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०

क्रेता के हस्ताक्षर



श्री देशराज लेख0, ,,,,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

[Handwritten signature]



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

15/05/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

निबंधक लिपिक लखनऊ

15/05/2026

रजिस्ट्रीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ

रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश





आवेदन सं०: 202601041021019

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8642

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री छोटे लाल,

[CHHOTE LAL

पुत्र श्री सोहबत

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 828D

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप
शुक्ला (नायब तहसीलदार),

[LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

”””

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन, पुत्र श्रीमती ,,,

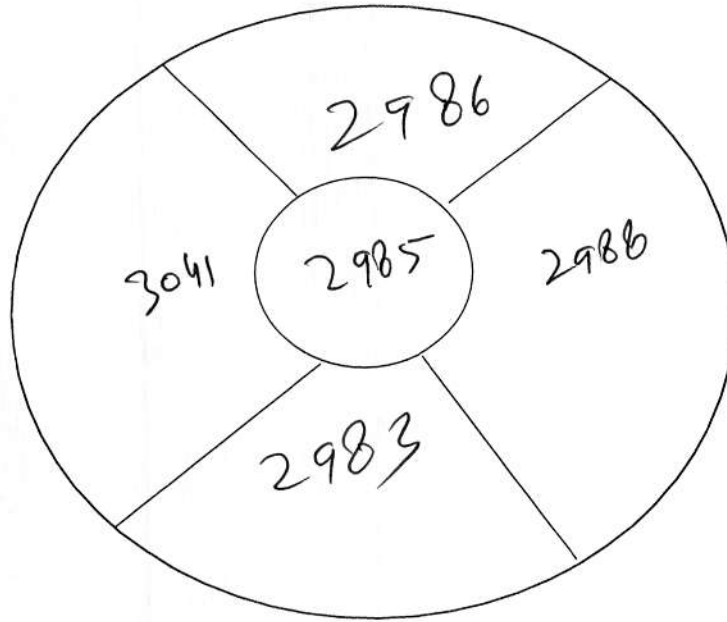
निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



खसरा सं० 3149 का कुल रकबा 0.0220हे० में से विकीत रकबा 0.0036हे०, खसरा सं० 3087 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2807 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2808 का कुल रकबा 0.0060हे० में से विकीत रकबा 0.0010हे०, खसरा सं० 3295 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0041हे०, खसरा सं० 3353 का कुल रकबा 0.0350हे० में से विकीत रकबा 0.0058हे०, खसरा सं० 3356 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विकीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 3342 का कुल रकबा 0.0230हे० में से विकीत रकबा 0.0038हे०, खसरा सं० 2941 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विकीत रकबा 0.0231हे०, खसरा सं० 2900 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0126हे०, खसरा सं० 2902 का कुल रकबा 1.3950हे० में से विकीत रकबा 0.6975हे०, खसरा सं० 2899 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विकीत रकबा 0.0192हे०, खसरा सं० 3458 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3361 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 3125 का कुल रकबा 0.0250हे० में से विकीत रकबा 0.0041हे०, कुल रकबा 6.7580हे० में से विकीत रकबा 1.5909हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०

केता के हस्ताक्षर

विक्रेता के हस्ताक्षर





आवेदन सं०: 202601041021019

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15371 के पृष्ठ 77 से 96 तक क्रमांक 8642 पर दिनांक
15/05/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

15/05/2026



रजिस्ट्रार
सरोजनीनगर
लखनऊ